न्यायालय जिला कलक्टर एवं प्रथम अपीलेट अधिकारी
(सूचना अधिकार अधिनियम 2005)
पीठासीन अधिकारी मुक्तानंद अग्रवाल (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– **76/2017 अपील सू.प्र.**

उनवान

श्री घनश्याम पिता लादूलाल सुखवाल निवासी ब्राह्मणों की सरेरी त0 आसीन्द जिला भीलवाड़ा **बनाम** सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार आसीन्द

—अपीलार्थी —प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) अधिनियम 2005

उपस्थित :– अपीलार्थी अनुपस्थित
प्रत्यर्थी की ओर से विभागीय प्रतिनिधी

निर्णय

दिनांक : 09/10/2017

अपीलार्थी की ओर से यह प्रथम अपील सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19 (1) के अन्तर्गत सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार आसीन्द के विरूद्ध दिनांक 25.08.2017 को जरिये डाक प्राप्त होकर निवेदन किया गया कि अपीलार्थी ने विहित अधिनियम की धारा 6(1) के अन्तर्गत दिनांक 11/07/2017 को एक आवेदन मय निर्धारित शुल्क 10/—रूपये पोस्टल ऑर्डर संख्या 40एफ 676416 प्रस्तुत कर सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार आसीन्द से सूचना चाही गयी थी, किन्तु निर्धारित समय सीमा व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराई। अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना हेतु प्रस्तुत आवेदन दिनांक 11/07/2017 की प्रति अपील मेमो के साथ प्रस्तुत की गई।

प्रस्तुत अपील इस कार्यालय में दिनांक 29/08/2017 को पंजीबद्ध किया जाकर अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी् को सूचना पत्र जारी किया गया। प्रथम सुनवाई दिनांक 12.09.2017 नियत थी परन्तु पीठासीन अधिकारी के राजकीय दौरे पर होने से आगामी दिनांक 26.09.2017 नियत की गई उस दिनांक को भी पीठासीन अधिकारी के राजकीय दौरे पर होने से आगामी दिनांक 29.09.2017 नियत की गई। उक्त दिनांक को अपीलार्थी उपस्थित नहीं आया तथा प्रत्यर्थी सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार आसीन्द के द्वारा तथ्यात्मक प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का समय चाहा गया। तत्पश्चात पत्रावली सुनवाई हेतु दिनांक 9.10.2017 नियत की गई। प्रत्यर्थी ने अपने पत्रांक/भू.अ./ 2017/1086 दिनांक 09.10.2017 से तथ्यात्मक प्रतिवेदन भिजवाते हुए अवगत कराया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी के समक्ष आवेदन दिनांक

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

11.07.2017 को प्रस्तुत किया जिसमें चाही गई सूचना अपीलान्ट को निःशुल्क स्वयं को बाद निरीक्षण उपलब्ध कराया जाने सम्बन्धी सहमति का अपीलान्ट का पत्र प्राप्त हुआ है।

प्रत्यर्थी की ओर से प्रस्तुत तथ्यात्मक प्रतिवेदन व पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया ।

प्रत्यर्थी सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार आसीन्द के द्वारा अपीलान्ट के आवेदन दिनांक 11.07..2017 से जो सूचना चाही गई वह अपीलान्ट को निःशुल्क उपलब्ध कराई जा चुकी है जिसके सम्बन्ध में स्वयं अपीलान्ट ने तहसील कार्यालय आसीन्द में उपस्थित होकर सूचना प्राप्त किए जाने की सहमति स्वरूप तहसीलदार आसीन्द के नाम पर पत्र प्रस्तुत किया है जो तहसीलदार आसीन्द के पत्रांक 1086 दिनांक 9.10.2017 के साथ प्राप्त हुआ है। अपीलान्ट के द्वारा यह भी अंकित किया कि उसे अब किसी सूचना की आवश्यकता नहीं है। सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत अपीलार्थी को निःशुल्क सूचना उपलब्ध करा दिए जाने से अपील सारहीन होने से खारिज योग्य है।

अतएव उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। आदेश की प्रति अपीलार्थी व प्रत्यर्थी सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार आसीन्द को सूचनार्थ भेजी जावे।

आदेश आज दिनांक 09/10/2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(मुक्तानंद अग्रवाल)
जिला कलक्टर एवं
प्रथम अपीलेट अधिकारी
भीलवाड़ा